

(124)

पत्रांक-2ब०/का०प०वे०-26-01/2017 - 275 - /न०वि०एवंआ०वि०

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 20/03/2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर परिषद में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹38.91871 लाख (अड़तीस लाख इक्यानबे हजार आठ सौ इकहत्तर रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर परिषद में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹38.91871 लाख (अड़तीस लाख इक्यानबे हजार आठ सौ इकहत्तर रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(राशि लाख में)		
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
1	नगर परिषद, जहानाबाद	8.00000
2	नगर परिषद, लखीसराय	11.16432
3	नगर परिषद, फतुहा	6.00000
4	नगर परिषद, फुलवारी शरीफ	2.30135
5	नगर परिषद, मौकामा	10.00000
6	नगर परिषद, भमुआ	1.45304
कुल योग		38.91871

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹38.91871 लाख (अड़तीस लाख इक्यानबे हजार आठ सौ इकहत्तर रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 6 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि राज्य के नगर परिषद में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग

u

128

में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर परिषद् में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर परिषदों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹38.91871 लाख (अड़तीस लाख इक्यानबे हजार आठ सौ इकहत्तर रु०) मात्र की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष- 0013-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031920013, विषय शीर्ष- 0013.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।

8. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2020 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति

में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. चूँकि उपर्युक्त राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/का०प०वे०- 26-01/2017 के पृष्ठ सं०-55/टि० पर दिनांक-18.3.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-55/टि० पर दिनांक-20.3.20 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
[Signature] 20.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/का०प०वे०-26-01/2017 - 275 - /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 20/03/2020

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट शाखा)/नगर कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

[Signature] 20.03.2020
सरकार के विशेष सचिव।
[Signature]

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]